राजस्थान सरकार
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

क्रमांकः–प.18(12)नविवि/विधि/2023

जयपुर, दिनांक : 18-10-2023

सचिव,
विकास प्राधिकरण,
जयपुर/जोधपुर/अजमेर।

सचिव,
राजस्थान आवासन मण्डल।
राजस्थान जयपुर।

मुख्य नगर नियोजक,
राजस्थान, जयपुर।

सचिव,
नगर विकास न्यास,
अलवर, बीकानेर, भरतपुर, बाड़मेर, भीलवाड़ा,
कोटा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़,
श्रीगंगानगर, जैसलमेर, पाली, सीकर,
सवाई माधोपुर, सिरोही (माउन्ट आबू)।

विषय :– विधानसभा आम चुनाव–2023 में आदर्श आचार संहिता की पालना के क्रम में।

संदर्भः– इस विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 06.10.2023 एवं 09.10.2023।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रों में भारत निर्वाचन आयोग एवं निर्वाचन विभाग, राजस्थान सरकार से प्राप्त पत्रों में दिये गये निर्देशों की आदर्श आचार संहिता प्रभाव में रहने के दौरान पालना करने हेतु निर्देशित किया गया था, लेकिन ध्यान में आया है कि विभिन्न प्राधिकरणों/न्यासों/आवासन मण्डल द्वारा चुनाव की आदर्श आचार संहिता के नाम पर आमजन के दैनिक नियमित कार्य भी नहीं किये जा रहे है।

जबकि चुनाव आयोग/विभाग के निर्देशों में उल्लेखित है कि "आदर्श आचार संहिता के दौरान निःशुल्क अथवा रियायती पट्टा जारी एवं संदत्त नहीं करेगें एवं किसी भी संस्था अथवा व्यक्ति को भूमि आवंटन नहीं करेंगे।" इस क्रम में प्रशासन शहरों के संग अभियान में विभिन्न दरों में दी गई रियायतों एवं छूट के आधार पर आदर्श आचार संहिता के दौरान कोई पट्टे जारी नहीं किये जायेगे।

विभिन्न विकास कार्यों के टेण्डर आदि के सम्बन्ध में निर्वाचन आयोग के पृथक से जारी निर्देशों की पालना करें। (संलग्न)

अतः निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदर्श आचार संहिता की पालना करते हुए आमजन के दैनिक प्रगति के कार्य नियमित रूप से करे जिससे आमजन को असुविधा न हो।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(जुगल किशोर मीणा)
संयुक्त शासन सचिव–द्वितीय

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है:–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नविवि।
2. वरिष्ठ शासन उप सचिव को प्रेषित कर लेख है कि कृपया संबंधित को ई–मेल द्वारा सूचित किया जाना सुनिश्चित करावें।

संयुक्त शासन सचिव–द्वितीय

P.T.O

Scanned with OKEN Scanner

क्रमांक : एफ.29( )विविध/(निर्वाचन)/डीएलबी/2023/6627-6937 दिनांक : 19/10/23

प्रतिलिपिः—सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः—

01. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
02. उप निदेशक (क्षेत्रीय), समस्त स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान।
03. आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी, समस्त नगर निगम/परिषद्/पालिका, राजस्थान को पालनार्थ।
04. संयुक्त निदेशक, आईटी अनुभाग, निदेशालय को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड़ करने हेतु।
05. सुरक्षित पत्रावली।

(हृदेश कुमार शर्मा)
निदेशक एवं विशिष्ट सचिव
स्वायत्त शासन विभाग

Scanned with OKEN Scanner